पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष व सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

—— डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', पूर्व केंद्रीय मंत्री

सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश सशक्त होगा।

—— अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

शुक्रवार को छाए काले बादलों के बीच संसद भवन का नजारा। फोटो : प्रेट्र

'इंडिया' शब्द पर केंद्र, ईसी व 26 दलों से जवाब तलब

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

■ विपक्षी दलों के गठबंधन को परिवर्णी नाम दिया गया है 'इंडिया'

■ इस नाम पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

■ 'इंडिया' शब्द के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए : याचिकाकर्ता

हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए 'इंडिया' परिवर्णी शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, निर्वाचन आयोग (ईसी) एवं गठबंधन के 26 दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई किए जाने की जरूरत है। पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादियों को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।

मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरू में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) नामक गठबंधन बनाने की घोषणा की थी।

याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने कहा है कि विपक्षी दलों के 'इंडिया' शब्द का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए और प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन को 'इंडिया' शब्द के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत भी न दी जाए। याचिकाकर्ता भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ने हमारे राष्ट्र का नाम घसीटकर बहुत ही चालाकी से अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में पेश किया है। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजग/भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारे ही देश यानी भारत के खिलाफ खड़े हैं। राहुल गांधी के इस प्रयास ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि वर्ष 2024 के आम चुनाव राजनीतिक दलों के बीच या गठबंधन और हमारे देश के बीच की लड़ाई होंगे।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह का भ्रम पैदा करके प्रतिवादी राजनीतिक दल हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसको लेकर निर्वाचन आयोग को एक अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से उन्हें हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा है।

राजधानी के कई इलाकों में बारिश

■ उमस वाली गर्मी से मिली कुछ राहत

नई दिल्ली (भाषा)। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी ने शहर के कुछ हिस्सों में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना जतायी है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को आर्द्रता 94 से 71 प्रतिशत के बीच रही। राजधानी का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 105 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट में चुनौती देगी डीएसजीपीसी : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अंतरिम जमानत देने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार

पुस्तकों, विचारों और सांस्कृतिक धरोहरों की दुनिया में रखें अपना कदम

पुस्तकालय महोत्सव - 2023

विशेष आकर्षण

साहित्यिक प्रश्नोत्तरी
भाषा शिक्षण अधिगम पर मास्टरक्लास (अनुवादिनी)
22 स्थानीय भाषाओं में कर्सिव राइटिंग पुस्तकों का विमोचन
पूरे भारत में पुस्तकालयों के लिए एक विशेष रैंकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ
विविध पांडुलिपियों, सुलेखों, मानचित्र कलाओं और स्वदेशी लिपियों की प्रदर्शनी
पुस्तकालयों के सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यासों के विषय में विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा सामूहिक परिचर्चा

भारत की माननीया राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
द्वारा उद्घाटन
5 अगस्त, 2023

माननीय उपराष्ट्रपति
श्री जगदीप धनखड़
द्वारा समापन अभिभाषण
6 अगस्त, 2023

प्रगति मैदान, नई दिल्ली

CBC 09101/13/0010/2324

fol2023.com
कार्यक्रम में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है।
पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 27-बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा(ईस्ट), मुंबई-400051
शाखा कार्यालय : 7वां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली -110001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन सूचना

एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर को सूचना दी जाती है, जिनके द्वारा **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल)** के 7वां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली -110001 स्थित शाखा कार्यालय से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई है तथा केएमबीएल को ईएमआई द्वारा ऋण राशि तथा/अथवा क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। कर्जदारों द्वारा केएमबीएल को अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई है, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और आज की तिथि तक बकाया राशि, जो कर्जदारों द्वारा केएमबीएल को चुकाई जानी है, का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर तथा समस्त जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभूत क्रेडिटर केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नाम के सामने दर्शित बकाया राशि इस सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें सम्पत्ति का कब्जा लेना तथा उसकी बिक्री करने की शक्ति शामिल है। समस्त जनसाधारण से यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदारों/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1. मैसर्स फाइनेस ब्यूटी सैलोन प्रा. लि. (कर्जदार), द्वारा इसके निदेशक /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार खत्री, ए-44, लाजपत नगर पार्ट-2, नई दिल्ली-110024, अन्य पता : मैसर्स फाइनेस ब्यूटी सैलोन प्रा. लि. (कर्जदार), द्वारा इसके निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार खत्री, एसएफ-23, मेट्रोपोलिटन मॉल एमजीएफ, गुरू ग्राम-122022, हरियाणा, अन्य पता : मैसर्स फाइनेस ब्यूटी सैलोन प्रा. लि. (कर्जदार), द्वारा इसके निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार खत्री, एल-4/23, द्वितीय तल, डीएलएफ सिटी, फेज-2, गुरू ग्राम-122002, अन्य पता : मैसर्स फाइनेस ब्यूटी सैलोन प्रा. लि. (कर्जदार), द्वारा इसके निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राज कुमार खत्री, दुकान नंबर एमएस0217, द्वितीय तल, डीएलएफ मेगा मॉल, डीएलएफ सिटी-1, गुरुग्राम-122002. **2. श्री राज कुमार खत्री (गारंटर एवं बंधकदाता), 3. श्रीमती अनीता खत्री (गारंटर एवं बंधकदाता) 2 एवं 3 दोनों निवासी** : ए-44, लाजपत नगर पार्ट-2, नई दिल्ली-110024, **अन्य पता** : एसएफ-23, मेट्रोपोलिटन मॉल एमजीएफ, गुरुग्राम-122022, हरियाणा, **अन्य पता** : एल-4/23, द्वितीय तल, डीएलएफ सिटी, फेज-2, गुरू ग्राम-122002, **अन्य पता** : दुकान नंबर एमएस0217, द्वितीय तल, डीएलएफ मेगा मॉल, डीएलएफ सिटी-1, गुरुग्राम-122002.	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : "कॉमर्शियल शॉप नंबर एमएस0217, द्वितीय तल, परिमाप सुपर एरिया 1858 वर्ग फीट (172.63 वर्ग मीटर), उक्त परिसर में कवर्ड एरिया के अनुपात में भूमि में अवियोज्य एवं अविभाजित हिस्सा सहित, जो डीएलएफ मेगा मॉल, डीएलएफ सिटी-1, गुरुग्राम, तहसील एवं जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है" चौहद्दी : उत्तर : एमएस218/कॉरीडोर, पूरब : कॉरीडोर, दक्षिण : जीना, पश्चिम : खुला
ऋण खाता सं.,मांग सूचना तिथि एवं राशि	**एनपीए तिथि : 09-07-2023**

ऋण खाता सं : LAP17710249 मांग सूचना तिथि : 01-08-2023 **बकाया राशि** : रू. 1,08,66,029.86/- 01-08-2023 तक **ऋण खाता सं : LAP18249066 मांग सूचना तिथि** : 01-08-2023 **बकाया राशि** : रू. 17,73,628.69/- 01-08-2023 तक

तिथि : 05-08-2023 स्थान : गुरूग्राम वास्ते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड,प्राधिकृत अधिकारी

JUBILANT FOODWORKS
जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
सीआईएन: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं.-1ए, सैक्टर 16ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उ.प्र.
कॉरपोरेट कार्यालय: 15वां तल, टॉवर इ, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच-10/ए, सैक्टर 98, नोएडा-201301, उ.प्र.
फोन: +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, **ईमेल:** investor@jublfood.com

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और तद्धीन विरचित नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, तथा परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहे गए हैं) तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") (एमसीए परिपत्र तथा सेबी सर्कुलर्स सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहे गए हैं) के अनुसरण में एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की **अठ्ठाईसवीं (28वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 28वीं एजीएम आयोजन की सूचना ("एजीएम सूचना") में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ("एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट") सहित उन सदस्यों को केवल इलैक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी है, जिनकी ई-मेल आईडीज़ कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए")/ डिपॉज़िटरी पार्टिसिपैंट ("डीपी") के पास पंजीबद्ध हैं। सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा एजीएम सूचना भेजने का कार्य 04 अगस्त, 2023 को पूरा किया जा चुका है। उपरोक्त दस्तावेज़ कम्पनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors/reports-presentations पर तथा स्टॉक एक्सचेंजिज़ नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैबसाइट www.nseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों की ई-मेल आईडीज़ कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे एजीएम सूचना में उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन करें। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडीज़ पंजीकृत नहीं करवाई हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना पंजीकरण कम्पनी से एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाओं सहित सभी संचार इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करवा लें :

(i) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करने और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 तथा अन्य संबद्ध प्रपत्रों में अपना विववरण कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. delhi@linkintime.co.in पर भेजकर पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं। सदस्यगण निर्धारित प्रपत्र कम्पनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-investor-forms से डाउनलोड कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों में सचिवीय मानकों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") यथासंशोधित, के विनियम 44 के साथ पठित एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से (एजीएम से पहले) तथा ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से (एजीएम के दौरान) डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं। तथापि, वे एजीएम में वोट डालने हेतु ग्राह्य नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :

1. एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग के रूप में इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।
2. सदस्य(यों) के वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ डेट, जोकि मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 है, को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ डेट को कम्पनी का सदस्य है, वह एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डालने हेतु ग्राह्य होगा।
3. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को शेयर्स का धारक है, वह अपना वोट डालने के लिए, अपने फोलियो संख्या/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेखयुक्त एक ई-मेल evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jublfood.com पर भेजकर, यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है, तो अपनी विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकता है।
4. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई-वोटिंग का आरंभ	**शनिवार, 26 अगस्त, 2023 (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी)**
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	**सोमवार, 28 अगस्त, 2023 (अप. 05.00 बजे आईएसटी)**

एनएसडीएल द्वारा उसके पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसको बदलने की अनुमति नहीं होगी।
5. इस अवधि में, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना वोट एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं।
6. सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य एजीएम में वोट डालने हेतु ग्राह्य होंगे, जिनके द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला गया है।
7. जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम में भाग लेने हेतु ग्राह्य होंगे। तथापि, वे एजीएम में वोट डालने हेतु ग्राह्य नहीं होंगे।
8. विस्तृत प्रक्रिया और रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विधि तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं तथा कम्पनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/company-reports/agm-notices और एनएसडीएल की वैबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
9. सदस्यगण एजीएम की सूचना में वर्णित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के साथ evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
10. ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ की स्थिति में कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नंबर : 022-48867000 तथा 022-24997000 कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें, जिनके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये वोटिंग संबंधी सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा।
11. कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल (सदस्यता सं. एसीएस 16302) चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सैक्रेटरीज़, के मैनेजिंग पार्टनर और उनकी अनुपस्थिति में श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर (सदस्यता सं. एसीएस 11919) को रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।
12. परिणामों की घोषणा एजीएम की समाप्ति के पश्चात दो कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी तथा संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वैबसाइट (www.jubilantfoodworks.com) एनएसडीएल की वैबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।

कृते **जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता./-
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 4 अगस्त, 2023
स्थान: नोएडा